पत्रांक–1 / प्रा0आ0–0–3–43 / 2016........2806........ / आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 22/7/16

विषयः आपातिक परिस्थितियों में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम– 69 के आलोक में कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संदर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्राकृतिक आपदा /गैर प्राकृतिक आपदा की घटनाओं के घटित होने पर प्रभावितों को अनुमान्य राशि का भुगतान करने हेतु त्वरित कार्रवाई आवश्यक होती है। आपके द्वारा राशि की अधियाचना करने तथा अधियाचना के आलोक में विभाग द्वारा राशि आवंटित करने में कुछ समय लगने की संभावना रहती है। इस विलंब की संभावना के मद्देनजर आपातिक परिस्थितियों में राशि की निकासी के निमित त्वरित कार्रवाई हेतु बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम–69 (प्रति संलग्न) में प्रावधान है। उक्त नियम के आलोक में राशि की अग्रिम निकासी की जा सकती है तथा विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर शीर्षवार समायोजन किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक........2806........ / आ0प्र0, पटना–15, दिनांक 22/7/16.

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

बिहार कोषागार संहिता नियम –69

आपातिक परिस्थितियों में बाढ़, तूफान, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं अथवा दंगा एवं अशांति द्वारा होने वाली जन–धन की हानि रोकने के लिए इस नियमावली के उपबंधों का अनुपालन किये बिना समाहर्ता लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत कर किसी कोषागार पदाधिकारी को पेंशन भुगतान से भिन्न भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा, बशर्ते कि इस नियम के अधीन समाहर्ता द्वारा अपने संपूर्ण जिले की बाबत एक वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी की राशि एक करोड़ रु. के अध्यधीन हो। ऐसे मामले मे समाहर्ता अपने आदेश की एक प्रति और ऐसा करने की परिस्थितियों का विवरण वित्त विभाग को तत्काल अग्रसारित कर देगा; और कोषागार पदाधिकारी भुगतान की रिपोर्ट तत्काल महालेखाकार को करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी स्थिति में पूर्वोक्त एक करोड. रु. की वांछित सीमा का अतिक्रमण नहीं हुआ है, प्रत्येक विपत्र के उपर निम्नलिखित प्रमाणपत्र दर्ज किया जाएगा और उस पर समाहर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा – "प्रमाणित किया जाता है कि बिहार कोषागार संहिता के नियम 69 के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में पूरे जिले के लिए आदेशित एवं आहरित कुल राशि, जिसमें इस विपत्र समेत की राशि भी शामिल है, एकं करोड़ रु. से अधिक नहीं है"।